भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2776

10.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

युद्ध बंदी

2776. श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टीः

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(**क**) क्या 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान युद्धबंदी बनाये गए थे;

(**ख**) यदि हाँ, तो कुल कितने ऐसे उक्त भारतीय बंदी अभी भी पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं; और

(**ग**) युद्धबंदियों को मुक्त करने और जेल में बंदियों के साथ मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों द्वारा की गई चर्चाओं/लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विदेश राज्य मंत्री

(श्री वी. मुरलीधरन)

(क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि 83 गुमशुदा भारतीय रक्षाकर्मी, जिनमें युद्धबंदी भी शामिल हैं, पाकिस्तान के कब्जे में हैं। सरकार ने इन गुमशुदा भारतीय रक्षाकर्मियों की रिहाई तथा देश वापसी का मुद्दा राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तान के साथ निरंतर उठाया है। तथापि, पाकिस्तान ने अब तक अपने कब्जे में किसी भी युद्धबंदी/गुमशुदा भारतीय रक्षाकर्मी के होने की बात स्वीकार नहीं की है।

इसके अलावा उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 64 भारतीय तथा भारतीय नागरिक समझे जाने वाले कैदी और 209 भारतीय तथा भारतीय समझे जाने वाले मछुआरे पाकिस्तान की हिरासत में हैं। पाकिस्तान ने 1 जुलाई, 2019 को यह स्वीकार किया है कि 52 नागरिक कैदी तथा 209 मछुआरे उसकी हिरासत में मौजूद हैं।

सरकार सभी भारतीय नागरिक कैदियों तथा मछुआरों की उनकी नौकाओं सहित शीघ्र रिहाई तथा देश वापसी का मुद्दा पाकिस्तान सरकार के साथ उठाती रही है। लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार ने वर्ष 2014 से पाकिस्तान की हिरासत से 2,110 भारतीय कैदियों, जिनमें मछुआरे भी शामिल हैं, को छुड़ाकर देश वापस लाने में कामयाबी हासिल की है। इनमें इस वर्ष अब तक छुड़ाए गए तथा देश वापस लाए गए मछुआरों समेत 362 भारतीय कैदी शामिल हैं।

विदेश मंत्री ने अक्तूबर 2017 में पाकिस्तान के उच्चायोग को सुझाव दिया था कि दोनों पक्ष एक-दूसरे की हिरासत में मौजूद बुजुर्गों, महिलाओं तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त कैदियों से संबंधित मानवीय मुद्दों का समाधान कर सकते हैं तथा उनकी शीघ्र रिहाई एवं देश वापसी पर विचार कर सकते हैं। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रस्ताव किया गया कि संयुक्त न्यायिक समिति संबंधी तंत्र को पुनः सक्रिय किया जाए और भारतीय चिकित्सा विशेषज्ञों के एक दल को मानसिक रूप से विक्षिप्त कैदियों से मिलने की अनुमति दी जाए ताकि उनकी नागरिकता का सत्यापन किया जा सके तथा तदुपरांत उन्हें देश वापस भेजे जाने की व्यवस्था की जा सके। पाकिस्तान ने 7 मार्च, 2018 को इस पर सकारात्मक रुख दिखाया। भारत ने चिकित्सा विशेषज्ञों और पुनर्गठित संयुक्त न्यायिक समिति का ब्यौरा साझा कर

दिया है और यह निवेदन किया है कि वह उनके दौरे की व्यवस्था करे। पाकिस्तान ने अब तक इसका कोई उत्तर नहीं दिया है।

*****